रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2003/फाल्गुन 21, 1924
No. 120] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2003/PHALGUNA 21, 1924

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2003

सा.का.नि. 212(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, (समूह ''ग'' पद) भर्ती नियम, 1997 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है,या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में स्टाफ कार चालक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, स्टाफ कार चालक (सूमह ''ग'' पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंग।

2. **लागू होना :** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इससे नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. चालक साधारण श्रेणी	621*(2003) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	23—30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-2 पर किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के मामले में 35 वर्ष तक और विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	**आवश्यक :** कार चालक की वैध चालक अनुज्ञप्ति रखता हो। मोटर कार्य विधि का ज्ञान और मोटर कार चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो। **वांछनीय :** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से आठवीं स्तर की परीक्षा पास हो।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष (केवल सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**आमेलन :** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की क्षेत्रीय विरचनाओं के ऐसे नियमित संवार हरकारों और समूह 'घ' कर्मचारियों में से स्टाफ कार चलाने के लिए आवश्यक समझे गए सक्षमता मानकों के प्रति निर्देश से पद के लिए उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए परिकल्पित चालन परीक्षण के परिणाम के आधार पर जिनके पास स्तंभ 7 में दी गई अर्हताएं हैं या अन्य मंत्रालयों या विभागों में स्टाफ कार चालक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के आमेलन द्वारा। **टिप्पण :** अभ्यर्थियों की ऐसी आयु सीमा अपेक्षित होगी जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. सम्बद्ध कमिश्नरी के अपर आयुक्त —अध्यक्ष 2. उपायुक्त (मुख्यालय) —सदस्य 3. सहायक आयुक्त (प्रशासन) —सदस्य 4. जहां उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. चालक श्रेणी II	621*(2003) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन (ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा।	**प्रोन्नति :** ऐसे चालक (साधारण श्रेणी) में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने 9 वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने नीचे यथा विनिर्दिष्ट समुचित स्तर का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो :— (i) अंग्रेजी की संख्याओं और अंकों को पढ़ सकता हो। (ii) खराबियों का पता लगा सकता हो और छोटी-मोटी मरम्मत कर सकता हो। (iii) यातायात के विनियमों का अच्छा ज्ञान हो। (iv) पहियों को बदल सकता हो और टायरों में सही हवा भर सकता हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) : 1. संबंधित आयुक्तालय का अपर आयुक्त —अध्यक्ष 2. उप आयुक्त (मुख्यालय) —सदस्य 3. सहायक आयुक्त (प्रशासन) —सदस्य 4. जहां उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. चालक श्रेणी I	725*(2003) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	4500-125-7000 रु.	अचयन (ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा।	**प्रोन्नति :** ऐसा चालक श्रेणी-II में से प्रोन्नति द्वारा, जिसने 6 वर्ष की नियमित सेवा की है और जिसने नीचे यथा विनिर्दिष्ट समुचित स्तर का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो :— (i) अंग्रेजी की संख्याओं और अंकों को पढ़ सकता हो। (ii) यातायात के विनियमों का अच्छा ज्ञान हो। (iii) डीजल और पेट्रोल इंजन के कार्यक्रमण का अच्छा ज्ञान रखता हो और खराबियों का पता लगा सकता हो और छोटी-मोटी मरम्मत कर सकता हो। (iv) कारबुरेटर प्लग आदि को साफ करने में समर्थ हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) : 1. संबंधित आयुक्तालय का अपर आयुक्त —अध्यक्ष 2. उपायुक्त (मुख्यालय) —सदस्य 3. सहायक आयुक्त (प्रशासन) —सदस्य 4. जहां उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. चालक (विशेष ग्रेड)	103*(2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन (ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा।	**प्रोन्नति :** ऐसा चालक श्रेणी-I जिसने 3 वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) : 1. संबंधित आयुक्तालय का अपर आयुक्त —अध्यक्ष 2. उपायुक्त (मुख्यालय) —सदस्य 3. सहायक आयुक्त (प्रशासन) —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12018/05/99-एडी. II. बी]
वाई.पी. वशिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Central Board of Excise and Customs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2002

G. S. R. 212(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Board of Excise and Customs, Drivers (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1997 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of staff Car Drivers of Central Board of Excise and Customs in the Ministry of Finance namely :—

1. Short title and commencement :—(i) These rules may be called the Ministry of Finance, Central Board of Excise and Customs, Staff Car Drivers (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2003.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the post, specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and scale of Pay :—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in column (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications :—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax :**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by Order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving :**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Driver (Ordinary Grade)	*621 (2003) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	23—30 years (Relaxable upto 35 years in the case of Government servants and upto 40 years for departmental candidates, in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government). **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul, and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	**Essential :** Possession of a valid driving licence for motor cars. Knowledge of motor mechanics and experience in driving a motor car for at least five years. **Desirable:** Passed viii standard from recognized Board or Institution.

Whether benefits of added years of service admissible under rules 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Whether age and essential qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Two years (Only for direct recruits)

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and the percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment, by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By absorption, failing which direct recruitment.	**Absorption** : On the results of the test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in driving of staff cars from amongst regular despatch Riders and Group "D" employees of the filed formations of the Central Board of Excise and Customs possessing qualifications in column 7 or absorption of persons holding the post of Staff Car Driver in other Ministries or Department. **Note :** The Candidates will be required to confirm to such age limits as may be specified by the Central Board of Excise and Customs from time to time.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee : 1. Additional Commissioner of concerned Commissionerate —Chairman 2. Deputy Commissioner (Head Quarters) —Member 3. Assistant Commissioner (Administration) —Member 4. Where none of the members at S.No. 1 to 3 above belongs to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, a Gr. "A" Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes category shall also associate as a member of Departmental Promotion Committee.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
2. Driver Grade-II	*621 (2003) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Non Selection (Seniority-cum-fitness).	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By Promotion	**Promotion :** Drivers (ordinary Grade) with nine years of regular service who have passed a trade test of appropriate standard specified below :

(i) must be able to read English Numerals and figures;

(ii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs;

(iii) must have good knowledge of Traffic Regulations;

(iv) must be able to change wheels and correctly inflate tyres.

Note : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

13	14
Departmental Promotion Committee (for promotion): 1. Additional Commissioner of concerned Commissionerate —Chairman 2. Deputy Commissioner (Head Quarters) —Member 3. Assistant Commissioner (Administration) —Member 4. Where none of the members at S. No. 1 to 3 above belongs to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, a Gr. "A" Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe category shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
3. Driver Grade-I	*725 (2003) *(Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Non Selection (Seniority-cum-fitness).	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By promotion	**Promotion :** Driver grade-II with six years regular service who have passed a trade test of appropriate standard as prescribed below : (i) must be able to read English Numerals and figures; (ii) must have a thorough knowledge of Traffic Regulations; (iii) must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects;

(iv) must be able to clear carburetor plug, etc.

Note : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

13	14
Departmental Promotion Committee (for promotion) : 1. Additional Commissioner of concerned Commissionerate —Chairman 2. Deputy Commissioner (Head Quarters) —Member 3. Assistant Commissioner (Administration) —Member 4. Where none of the members at S. No. 1 to 3 above belongs to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, a Gr. "A" Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes category shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
4. Driver (Special Grade)	*103 (2003) *(Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non Selection (Seniority-cum-fitness).	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By promotion	**Promotion :** From the Grade I Drivers with three years regular service. **Note :** Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

13		14
Departmental Promotion Committee (for promotion):		Not applicable
1. Additional Commissioner of concerned Commissionerate	—Chairman	
2. Deputy Commissioner (Head Quarters)	—Member	
3. Assistant Commissioner (Administration)	—Member	
4. Where none of the members at S.No. 1 to 3 above belongs to Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, a Gr. "A" Officer from outside the Department belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes category shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.		

[F. No. A-12018/05/99.AD.IIIB.]

Y. P. VASHISHAT, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.